एकादश माला, खंड 9, अंक 1

गुरुवार, 20 फरवरी, 1997
1 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(भाग-एक)
(ग्यारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 56
Date 12-12-97

सत्यमेव जयते

(खण्ड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वंदना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 9, चौथा सत्र, (भाग–एक), 1997/1918 (शक)]

अंक 1, गुरुवार, 20 फरवरी, 1997/1 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय	कॉलम
ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(iii) – (x)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xi)
मंत्रिपरिषद	(xiii) – (xiv)
राष्ट्रगान — *धुन बजाई गई*	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1–11
निधन संबंधी उल्लेख	12–13
सभा पटल पर रखे गए पत्र	13–16

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

ग्यारहवीं लोक सभा

अ

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)
अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र (चतरा)
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक–दिल्ली)
अजय कुमार, श्री एस० (ओट्टापलम)
अठावले, श्री नारायण (मुंबई–उत्तर मध्य)
अडईकलराज, श्री एल० (तिरूचिरापल्ली)
अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)
अन्तुले, श्री अब्दुल रहमान (कुलाबा)
अन्नाय्यागरी, श्री साई प्रताप (राजमपेट)
अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)
अनन्था, श्री वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर)
अनवर, श्री तारीक (कटिहार)
अनीस, श्री मुख्तार (सीतापुर)
अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)
अराकल, श्री जेवियर (एरणाकुलम)
अरूणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अलागिरी, श्री सामी वी० (शिवकाशी)
अली, श्री मोहम्मद इदरीस (जंगीपुर)
अलीवाल, श्री अमरीक सिंह (लुधियाना)
अलेमाओ, श्री चर्चिल (मारमागाओ)
अवैद्यनाथ, श्री (गोरखपुर)
अहमद, श्री ई० (मंजेरी)
अहमद, श्री एम. कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)
अहीर, श्री हंसराज (चन्द्रपुर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजमी, श्री इलियास (शाहबाद)
आदित्यन, श्री आर० घनुषकोडी (तिरूचेंदूर)
आवाडे, श्री कल्लप्पा (इचलकरांजी)

इ

इमचा, श्री (नागालैण्ड)
इस्लाम, श्री कमारूल (गुलबर्गा)
इस्लाम, श्री नुरूल (धूबरी)
इस्लेरी, श्री लुईस (कोकराझार)

उ

उदयप्पन, श्री एस०पी० (रामानाथपुरम)
उपेन्द्र श्री पी० (विजयवाड़ा)
उबोक, श्री मेजर सिंह (तरनतारन)
उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)
उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कंडासामी, श्री के० (रसिपुरम)
कंडासामी, श्री वी० (कोल्लाची)
कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)
कठीरिया, डा० वल्लभ भाई (राजकोट)
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)
कनोडिया, श्री महेश कुमार एम. (पाटन)
कनौजिया, श्री जी० एल० (खीरी)
कमल रानी, श्रीमती (घाटमपुर)
कर्मा, श्री महेन्द्र (बस्तर)
कलमाड़ी, श्री सुरेश (पुणे)
कांशी राम, श्री (होशियारपुर)
काम्बले, श्री शिवाजी विठ्ठल राव (उस्मानाबाद)
कामसन, प्रो० एम० (बाह्य मणिपुर)
कार, श्री गुलाम रसूल (बारामूला)
कारवींघन, श्री एस०के० (पलानी)
कुंदूरकर, श्री जी० एम० (नांदेड़)
कुमार, श्री एम० पी० वीरेन्द्र (कालीकट)
कुमार, श्रीमती मीरा (करोलबाग–दिल्ली)
कुमार, श्री वी० धनन्जय (मंगलौर)
कुमारास्वामी, श्री एच०डी० (कनकपुरा)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)
कुशवाहा, श्री सुखलाल (सतना)
कुसमरिया, डॉ० रामकृष्ण (दमोह)
कृष्णा, श्री (माण्डया)
कृष्णादास, श्री एन०एन० (पालघाट)
कोंडय्या, श्री के०सी० (बेल्लारी)
कोटा, श्री सिद्दय्या (नरसारावपेट)
कोली, श्री गंगाराम (बयाना)

कौजलगी, श्री शिवानंद एच० (बेलगाम)
कौर, श्रीमती सुखवंश (गुरूदासपुर)
कैकाला, श्री सत्यनारायण (मछलीपट्टनम)

ख

खण्डेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतुल)
खलप, श्री रमाकान्त डी० (पणजी)
खरवार, श्री घनश्याम चन्द्र (अकबरपुर)
खान, श्री सुनील (दुर्गापुर)
खालसा, श्री हरिन्दर सिंह (भटिंडा)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गढ़वी, श्री पी० एस० (कच्छ)
गढ़वी, श्री बी० के० (बनसकांठा)
गणेशन, श्री वी० (चिदंबरम)
गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गवाली, श्री पुण्डलिक राव राम जी (वाशिम)
गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
गामीत, श्री छीतुभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह (बड़ौदा)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कन्टाई)
गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)
गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गुप्त, श्री चमन लाल (ऊधमपुर)
गेहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)
गोडसे, श्री राजाराम परशराम (नासिक)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)
गोयल, श्री विजय (सदर–दिल्ली)
गोविन्दन, श्री टी० (केसरगोड़ा)
गौड़ा, श्री वाई० एन० रुद्रेश (हसन)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्दूमाजरा, प्रो० प्रेमसिंह (पटियाला)
चन्दूलाल, श्री अजमीरा (वारंगल)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा. (कराड़)
चाक्को, श्री पी०सी० (मुकुन्दपुरम)
चारी, डॉ० एस० बेणुगोपाल (आदिलाबाद)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आणंद)
चिखलिया, श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई (जूनागढ़)
चित्तूरी, श्री रविन्द्र (राजामुन्दरी)
चित्यन, श्री एन० एस० वी० (डिंडीगुल)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चेन्नित्तला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, कर्नल सोनाराम (बाड़मेर)
चौधरी, श्री ए०बी०ए० गनी खां (मालदा)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)
चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)
चौधरी, श्री परागी लाल (मिश्रिख)
चौधरी, श्री बादल (त्रिपुरा पश्चिम)
चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई (बलसाड़)
चौधरी, श्री राम टहल (रांची)
चौधरी, श्रीमती निशा ए० (साबरकांठा)
चौबे, श्री लालमुनी (बक्सर)
चौहान, श्री जयसिंह (कपड़बंज)
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)
चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)
चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगन्नाथ, डॉ० एम० (नागरकुरन्नूल)
जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)
जटिया, डॉ० सत्यनारायण (उज्जैन)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जय प्रकाश, श्री (हिसार)
जहेदी, श्री महबूब (कटवा)
जादव, श्री सुरेश आर. (परमनी)
जायसवाल, डॉ० मदन प्रसाद (बेतिया)
जायसवाल, श्री एस०पी० (वाराणसी)
जालप्पा, श्री आर० एल० (चिकबलपुर)
जावीया, श्री गोरधन भाई (पोरबन्दर)
जिन्दल, श्री ओ० पी० (कुरुक्षेत्र)
जेना, श्री मुरलीधर (भद्रक)
जेना, श्री श्रीकान्त (केन्द्रपाड़ा)

जैन, श्री सत्य पाल (चंडीगढ़)
जैसवाल, श्री प्रदीप (औरंगाबाद)
जोशी,डा० मुरली मनोहर (इलाहाबाद)
जोशी, वैद्य दाऊ दयाल (कोटा)
जोस, श्री ए०सी० (इदुक्की)

ज्ञ

ज्ञानगुरूस्वामी, श्री आर० (परियाकुलम)

ट

टंडेल, श्री गोपाल (दमन और दीव)
टाडीपारथी, श्रीमती शारदा (तैनाली)
टी० गोपाल कृष्ण, श्री (काकीनाड़ा)

ठ

ठाकरे, श्री राजाभाऊ (यवतमाल)

ड

डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डार, श्री मोहम्मद मकबूल (अनन्तनाग)
डेनिस, श्री एन० (नगरकोइल)
डेलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डॉ० रामचन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढालीवाल, श्रीमती सतविन्दर कौर (रोपड़)

त

तसलीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)
तिरिया, कुमारी सुशीला (मयूरभंज)
तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)
तिवारी, श्री बृज भूषण (डुमरियागंज)
तीर्थरामन, श्री पी० (धर्मपुरी)
तोपदार, श्री तरित वरण (बैरक पुर)
तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दर गढ़)
तोमर, डा० रमेश चन्द (हापुड़)
त्रिपाठी, लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

थ

थाम्मीनेनी, श्री वीरभद्रम (खम्माम)
थामस, श्री पी.सी. (मुक्तुपुजा)
थोरात, श्री संदीपान (पंढरपुर)

द

दरबार, श्री छतर सिंह (धार)
दास, श्री अंचल (जाजपुर)
दास, प्रो० जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)
दास, श्री द्वारका नाथ (करीमगंज)
दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)
दासमुंशी, श्री पी० आर० (हावड़ा)
दाहाल, श्री भीम प्रसाद (सिक्किम)
दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)
दिवाथे, श्री नामदेव (चिमूर)
दीवान, श्री पवन (महासमुंद)
देव, श्री वी० प्रदीप (पार्वतीपुरम)
देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवदास, श्री आर० (सलेम)
देवी, श्रीमती सुभावती (बांसगांव)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (बरौच)
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)
नटरायन, श्री के० (करूर)
नरसिम्हन, श्री सी० (कृष्णागिरि)
नाईक, श्री राम (मुम्बई-उत्तर)
नागरत्नम, श्री टी० (श्रीपेरूम्बुदूर)
नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)
नायक, श्री मृत्युन्जय (फूलबनी)
नायक, श्री राजा रंगप्पा (रायचूर)
नायडू, श्री के० पी० (बोबीली)
"निडर" प्रो० ओमपाल सिंह (जलेसर)
निम्बालकर, श्री हिन्दूराव नाईक (सतारा)
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)
निषाद, श्री विशम्भर प्रसाद (फतेहपुर)
नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)
नेताम, श्रीमती छबिला अरविन्द (कांकेर)
नेला वाला, श्री सुब्रह्यमण्यम (तिरूपति)

प

पटनायक, श्री बीजू (आस्का)
पटनायक, श्री शरत (बोलंगीर)
पटरूधु, श्री अय्यन्ना (अन्नाकापल्ली)
पटवा, श्री सुन्दरलाल (छिंदवाड़ा)
पटेल, डा० ए०के० (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह (फूलपुर)
पटेल, श्री दिनशा (खेड़ा)
पटेल, श्री प्रफुल्ल (भंडारा)
पटेल, श्री बुद्धसेन (रीवा)
पटेल, श्री विजय (गांधीनगर)
पटेल, श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास (गोधरा)
पनबाका, श्रीमती लक्ष्मी (नैल्लौर)
परसुरामन, श्री के० (चेंगलपट्टू)
परांजपे, श्री दादा बाबू राव (जबलपुर)
परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ (ठाणे)
पलानीमनिक्कम, श्री एस० एस० (तंजावूर)
पवार, श्री उत्तम सिंह (जालना)
पवार, श्री शरद (बारामती)
पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पांडेय, डॉ० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)
पांडेय, श्री मनहरण लाल (जांजगीर)
पांडेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरडीह)
पाटिल, श्री अन्नासाहिब एम०के० (इरन्दोल)
पाटिल, श्री बी० आर० (बीजापुर)
पाटिल, श्री मदन (सांगली)
पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)
पाटिल, श्रीमती रजनी (बीड)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पायलट, श्री राजेश (दौसा)
पाल, डॉ० देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
पाल, श्री रूप चन्द (हुगली)
पार्वती, श्रीमती एम० (ओंगोले)
पासवान, श्री कामेश्वर (नवादा)
पासवान, श्री पीताम्बर (रोसेड़ा)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पासवान, श्री सुखदेव (अररिया)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)
प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुर)
प्रभु, श्री के० सुरेश (राजापुर)
प्रामानिक, प्रो० आर. आर. (मथुरापुर)
प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा (पूर्वी दिल्ली)
प्रेमचन्द्रन, श्री एन० के० (क्विलोन)
प्रेमी, श्री मंगल राम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ऑस्कर (उदीपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)
फारूख, श्री एम०ओ०एच० (पाण्डिचेरी)
फुंडकर, श्री भाऊसाहिब पुंडलिक (अकोला)
फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

ब

बंगरप्पा, श्री एस० (शिमोगा)
बंशीवाल, श्री श्याम लाल (टोंक)
बक्सला, श्री जोआचिम (अलीपुरद्वार)
बर्क, डॉ० शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)
बचदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)
बडाडे, श्री भीमराव विष्णु जी (कोपरगांव)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)
बनातवाला, श्री जी० एम० (पून्नानी)
बर्मन, श्री उधव (बारपेटा)
बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)
बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह (संगरूर)
बलिराम, डॉ० (लालगंज)
बसु, श्री अनिल (आराम बाग)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बागूल, डॉ० साहेबराव सुकराम (धुले)
बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)
बाला, डॉ० असीम (नवद्वीप)
बालारमन, श्री एल० (वंडावासी)
बालासुब्रह्मण्यन, श्री एस०आर० (नीलगिरी)
बालू, श्री टी०आर० (मद्रास–दक्षिण)
बिसवाल, श्री रनजीब (जगतसिंह पुर)
बुडानिया, श्री नरेन्द्र (चुरू)
बेगम नूर बानो (राम पुर)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
बेंदा, चौधरी रामचन्द्र (फरीदाबाद)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)
बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)

भगवती देवी, श्रीमती (गया)
भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)
भट्टाचार्य, श्री जयन्त (तामलुक)
भट्टाचार्य, श्री प्रदीप (सेरमपुर)
भास्करप्पा, श्री सी० एन० (तुमकुर)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भाटी, श्री महेन्द्र सिंह (बीकानेर)
भारती, डॉ० अमृत लाल (चैल)
भारथन, श्री ओ० (बडागरा)
भारद्वाज, श्री नीतीश (जमशेदपुर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भिक्षम, श्री बी० धर्म (नालगौंडा)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डॉ० कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मगानी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर (श्रीनगर)
मल्लिकार्जुन, डॉ० (महबूब नगर)
मल्किार्जुनप्पा, श्री जी० (दावणगेरे)
महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)
महन्त, श्री केशव (कलियाबोर)
महाजन, श्री प्रमोद (मुम्बई उत्तर पूर्व)
महाजन, श्री सत (कांगड़ा)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इंदौर)
महापात्र, श्री कार्तिक (बालासोर)
महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)
माने, श्री शिवाजी गयानोबाराऊ (हिंगोली)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास–मध्य)
मिर्धा, श्री भानुप्रकाश (नागौर)
मिश्र, श्री चतुरानन (मधुबनी)
मिश्र, श्री पिनाकी (पुरी)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)
मीणा, श्रीमती उषा (सवाई माधोपुर)
मुखर्जी, श्री प्रमथेस (बरहामपुर–प०ब०)
मुखर्जी, श्री सुब्रता (रायगंज)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंराकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृषनगर)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुनियप्पा, श्री के०एच० (कोलार)
मुडे, श्री विजय अन्नाजी (वर्धा)
मुनिलाल, श्री (सासाराम)
मुर्मू, श्री रूप चन्द (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री के०एस०आर० (अमलापुरम)
मेघवाल, श्री परसराम (जालौर)
मेघे, श्री दत्ता (रामटेक)
मेती, श्री एच० वाई० (बागलकोट)
मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, श्री सनत (सुरेन्द्र नगर)
मेहता, श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र (मुम्बई–दक्षिण)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)
मोहन, श्री आनन्द (शिवहर)
मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अनिल कुमार (खगरिया)
यादव, श्री गिरधारी (बांका)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
यादव, श्री डी०पी० (सम्भल)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)
यादव, श्री राम कृपाल (पटना)
यादव, श्री लाल बाबू प्रसाद (गोपालगंज)
यादव, श्री शरद (माधेपुरा)
यादव, श्री सुरेन्द्र (खलीलाबाद)
येरननायडू, श्री किंजारप्पू (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डॉ० जयन्त (स्वशासी–जिला) (असम)
रमना, श्री एल० (करीमनगर)
रमेन्द्र कुमार, श्री (बेगूसराय)
रमैया, श्री पी० कोदंड (चित्रदुर्ग)
रमैया, श्री बोला बुल्ली (एलरू)
रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)
राई, श्री आर०बी० (दार्जिलिंग)
राउत, श्री कचरू भाऊ (मालेगांव)
राघवन, श्री वी०वी० (त्रिचूर)

राजकुमार, श्री वांगचा (अरूणाचल पूर्व)
राजपूत, श्री गंगा चरण (हमीरपुर) (उ०प्र०)
राजा, श्री ए० (पैरम्बलूर)
राजे, श्रीमती वंसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रन, श्री पी०वी० (मईलादुतुराई)
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)
राठवा, श्री एन०जे० (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राणा, श्री राजू (भावनगर)
राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
रामलिंगम, डॉ० के०पी० (तिरूचेंगोडे)
रामनाथन, श्री एम० (कोयम्बटूर)
रामसजीवन, श्री (बांदा)
रामसागर, श्री (बाराबंकी)
रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)
राम बाबू, श्री ए०जी० एस० (मदुरै)
राय, श्री कल्पनाथ (घौसी)
राय, श्री देवेन्द्र बहादुर (सुल्तानपुर)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री बलाई चन्द्र (बर्दवान)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
रायारेड्डी, श्री बासवाराज (कोप्पल)
रायुडू, श्री के०एस० (नरसापुर)
राव, श्री आर० साम्बासिवा (गुंटूर)
राव, श्री पी०वी० नरसिम्हा (बरहामपुर)
राव, श्री पी०वी० राजेश्वर (सिंकदराबाद)
रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)
रावत, श्री रासा सिंह (अजमेर)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण–मध्य)
रिबा, श्री तोमो (अरूणाचल–पश्चिम)
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा–पूर्व)
रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)
रेड्डी, श्री एन० रामकृष्ण (चित्तूर)
रेड्डी, श्री एम० बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री एस० रामचन्द्र (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरूनूल)
रेड्डी, श्री जी०ए० चरण (निजामाबाद)
रेड्डी, डॉ० टी० सुब्बारामी (विशाखापत्तनम)
रेड्डी, डॉ० बी०एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री भूमानागी (नान्दयाल)
रेड्डी, डॉ० वाई०. एस०. राजशेखर (कुडप्पा)

ल

लहिरी, श्री समीक (डाइमंड हार्बर)
लाखा, श्री हरमजन (फिल्लौर)
लोढा, जस्टिस गुमान मल (पाली)

व

वर्मा, श्री आर०एल०पी० (कोडरमा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (केसरगंज)
वर्मा, श्रीमती पूर्णिमा (मोहनलालगंज)
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह (शाहजहांपुर)
वर्मा, प्रो० रीता (धनबाद)
वल्याल, श्री लिंगराज (शोलापुर)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाडियार, श्री एस० डी० एन० आर० (मैसूर)
वानगा, श्री चिन्तामन (दहानू)
विश्वकर्मा, श्री महाबीर लाल (हजारी बाग)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)
वेंकटरामन, श्री टिंडिवनाम जी० (टिंडिवनाम)
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)
वेंकटेस्वरलू, डॉ० उम्मा रेड्डी (बापतला)
वेदान्ती, डॉ० राम विलास (मछलीशहर)
वेणुगोपाल, श्री डी० (तिरूपत्तूर)
वेलू, श्री ए० एम० (अर्कोनम)
वैश्य, श्री वीरेन्द्र प्रसाद (मंगल डोई)
व्यास, डॉ० गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकर, श्री बी० एल० (चिकमंगलूर)
शर्मा, डॉ० अरविन्द (सोनीपत)
शर्मा, श्री अशोक (राजनंदगांव)
शर्मा, डॉ० अरुण कुमार (लखीमपुर)
शर्मा, श्री कृष्ण लाल (बाहरी दिल्ली)
शर्मा, श्री नवल किशोर (अलवर)
शर्मा, डॉ० प्रवीन चंद्र (गुवाहाटी)
शर्मा, श्री मंगत राम (जम्मू)
शर्मा, कैप्टन सतीश (अमेठी)
शिवप्रकाशम, श्री डी० एस० ए० (तिरूनेलवेली)
शिवा, श्री तिरूची (पुडक्कोट्टई)

शेरकर, श्री निवृत्ती सेठ नामदेव (खेड)
शेरवानी, श्री सलीम इकबाल (बदायूं)
शेल्के, श्री मारुति देवराम (अहमदनगर)
शहाबुद्दीन, मुहम्मद (सिवान)
शाक्य, डॉ० महादीपक सिंह (एटा)
शाक्य, श्री राम सिंह (इटावा)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)

ष

षण्मुगम, श्री पी० (बेल्लोर)
षणमुगा सुन्दरम, श्री वी० पी० (गोबिचेट्टिपालयम)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़–उत्तर)
सांगमा, श्री पूर्णो ए० (तुरा)
संघानी, श्री दिलीप (अमरेली)
सईद, श्री पी०एम० (लक्षद्वीप)
सनदी, प्रो० आई० जी० (धारवाड़-दक्षिण)
सम्पथ, श्री ए० (चिरायिंकिल)
सरपोतदार, श्री मधुकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)
सरदार, श्री माधव (क्योंझर)
सरोदे, डॉ० जी० आर० (जलगांव)
सवान्नूर, श्रीमती रत्नमाला डी० (चिक्कोडी)
सहाय, श्री हरिवंश (सलेमपुर)
साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)
साक्षी, स्वामी सच्चिदानन्द (फर्रूखाबाद)
साय, श्री नन्द कुमार (रायगढ़)
साहू, श्री अनादि चरण (कटक)
साहू, श्री ताराचन्द (दुर्ग)
सिंकु, श्री चित्रसेन (सिंहभूम)
सिंह, श्री अजित (बागपत)
सिंह, श्री अमर पाल (मेरठ)
सिंह, श्री अशोक (रायबरेली)
सिंह, श्रीनती कांति (विक्रमगंज)
सिंह, श्रीमती केतकी देवी (गोण्डा)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, श्री चन्द्रभूषण (कन्नौज)
सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)
सिंह, श्री जसवंत (चित्तौड़गढ़)
सिंह, श्री ज्ञान (शहडोल)
सिंह, श्री तिलक राज (सिधी)
सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)
सिंह, श्री थ० चौबा (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री दरबारा (जालंधर)
सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)
सिंह, महारानी दिव्या (भरतपुर)
सिंह, श्री नकली (सहारनपुर)
सिंह, श्री प्रहलाद (सिवनी)
सिंह, मेजर जनरल बिक्रम (हमीरपुर)
सिंह, श्री मोहन (फिरोजपुर)
सिंह, श्री रघुंवश प्रसाद (वैशाली)
सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री राजकेशर (जौनपुर)
सिंह, कर्नल राव राम (महेन्द्रगढ़)
सिंह, श्री राम बहादुर (महाराजगंज)
सिंह, डॉ० राम लखन (भिंड)
सिंह, श्री राघा मोहन (मोतीहरी)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)
सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार (औरंगाबाद)
सिंह, श्री शत्रुघ्न प्रसाद (बलिया) (बिहार)
सिंह, श्री शिवराज (विदिशा)
सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)
सिंह, कुंवर सर्वराज (आवला)
सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)
सिंह, श्री सुरेन्द्र (भिवानी)
सिंह, डॉ० हरि (सीकर)
सिंह देव, श्री के०पी० (ढेकानाल)
सिद्धराजु, श्री ए० (चामराजनगर)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिन्हा, श्री मनोज कुमार (गाजीपुर)
सिल्वेरा, डॉ० सी० (मिजोरम)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुधीरन, श्री वी० एम० (अलेप्पी)
सुभाष चन्द्र, श्री (भीलवाड़ा)
सुरेन्द्रनाथ, श्री के०वी० (त्रिवेन्द्रम)
सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री के०डी० (शिमला)
सुशील चन्द्र, श्री (भोपाल)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सोनकर, श्री विद्यासागर (सैदपुर)
सोमू, श्री एन०वी०एन० (मद्रास उत्तर)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)
सोहन वीर, श्री (मुजफ्फर नगर)
सैकिया, श्री मुही राम (नागोंग)
सैनी, श्री प्रताप सिंह (अमरोहा)
सैल्वारासु, श्री एम० (नागापट्टीनम)
सौम्य रंजन, श्री (भुवनेश्वर)
स्वराज, श्रीमती सुषमा (दक्षिण दिल्ली)
स्वामी, श्री आई० डी० (करनाल)
स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेद्दापल्ली)
स्वामी, श्री सी० नारायण (बंगलौर उत्तर)
स्वैल, श्री जी.जी. (शिलांग)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)
हजारिका, श्री ईश्वर प्रसन्ना (तेजपुर)
हसन, श्री मुनव्वर (कैराना)
हाण्डिक, श्री विजय (जोरहाट)
हुडा, श्री भूपिन्द्र सिंह (रोहतक)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)
हेगड़े, श्री अनन्त कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री पूर्णो ए० संगमा

उपाध्यक्ष

श्री सूरजभान

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री चित्त बसु
श्री पी० सी० चाक्को
श्री नीतीश कुमार
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री पी० एम० सईद
कर्नल राव राम सिंह
प्रो० रीता वर्मा

महासचिव

श्री एस० गोपालन

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री

प्रधान मंत्री तथा निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी परमाणु ऊर्जा; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; शहरी कार्य और रोजगार; तथा अन्य मंत्रालय / विभाग जो किसी अन्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को आवंटित नहीं किये गए हैं, अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; विद्युत; इलैक्ट्रानिकी; जम्मू और कश्मीर मामले; महासागर विकास; तथा अंतरिक्ष	श्री एच० डी० देवेगौड़ा
कल्याण मंत्री	श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
संचार मंत्री	श्री बेनी प्रसाद वर्मा
इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री	श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य
नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री सी० एम० इब्राहीम
कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)	श्री चतुरानन मिश्र
खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
विदेश मंत्री	श्री इन्द्र कुमार गुजराल
गृह मंत्री	श्री इन्द्रजीत गुप्त
जल संसाधन मंत्री	श्री जनेश्वर मिश्र
श्रम मंत्री	श्री एम० अरूणाचलम
रक्षा मंत्री	श्री मुलायम सिंह यादव
उद्योग मंत्री	श्री मुरासोली मारन
वित्त मंत्री	श्री पी० चिदम्बरम
वस्त्र मंत्री	श्री आर०एल० जालप्पा
रेल मंत्री	श्री राम विलास पासवान
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री एस०आर० बोम्मई
संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री	श्री श्रीकान्त जेना
जल-भूतल परिवहन मंत्री	श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री	श्री किंजारप्पू येरननायडू

राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बोला बुल्ली रमैया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री दिलीप कुमार राय
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद
कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री	श्रीमती कांति सिंह
कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री	श्री रमाकांत डी० खलप
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	प्रो० सैफुद्दीन सोज
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सलीम इकबाल शेरवानी
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री शीश राम ओला
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र कुमार अलघ

राज्य मंत्री

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मौहम्मद मकबूल डार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री मुही राम सैकिया
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एन०वी०एन० सोमू
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सतपाल महाराज
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री	डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री टी० आर० बालू
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डॉ० यू० वेंकटस्वरलू

लोक सभा

गुरुवार 20 फरवरी, 1997 / 1 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा अपराह्न 12.47 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों का बजट सत्र में स्वागत करता हूँ।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रगान के समय अधिकारी लोग खड़े नहीं हुए, ये दीर्घा में बैठे ही रहे। यह देश का अपमान है. *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए खेद व्यक्त कर चुका हूँ।

अपराह्न 12.50 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्यों द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए उनके नाम महासचिव द्वारा पुकारे जाएंगे :

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा)

श्रीमती सतविन्दर कौर ढालीवाल (रोपड़)

श्री भानु प्रकाश मिर्धा (नागौर)

श्री अजित सिंह (बागपत)

अपराह्न 12.55 बजे

[हिन्दी]

राष्ट्रपति का अभिभाषण

महासचिव : मैं 20 फरवरी, 1997 को एक साथ समवेत संसद की दोनों समाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण* की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

मुझे, वर्ष 1997 में संसद के इस पहले सत्र में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं नए सदस्यों को बधाई देता हूं, और आगामी बजट एवं विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

वर्तमान सरकार के कार्य-भार संभालने के पश्चात्, मैं संसद को पहली बार संबोधित कर रहा हूं। संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्रीय विकास, समानता, सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित मूल कार्यसूची दी गई है। हमारे समाज और जनता की अधिक समृद्धि और खुशहाली के लिए यह एक माध्यम है। इसमें हमारे संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने, मूलभूत न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने तथा गरीबी एवं अज्ञानता दूर करने के लिए आवश्यक सुविधाओं से वंचित वर्गों, विशेषकर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को समर्थ बनाने से संबंधित विशिष्ट नीतियों एवं दिशा निर्देशों का उल्लेख है। इस कार्यक्रम में उद्योग एवं आधारिक संरचना के लिए प्रचुर निवेश जुटाकर त्वरित आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने पर बल दिया गया है।

इस प्रकार इस कार्यक्रम में एक ओर आर्थिक विकास तथा दूसरी ओर समानता एवं अनुपाती न्याय के प्रति चिंता का उचित संतुलन दिखाई देता है। सरकार इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है।

हमारी लोकतांत्रिक संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मिलीजुली सरकारें स्थिर हो सकती हैं, तथा वे सतत सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। हमारे संविधान की ऐसी उत्कृष्ट विशेषताएं हैं, जिनमें संघ और राज्यों के संबंधों का स्पष्ट उल्लेख है। सरकार बिना किसी भेदभाव के संवैधानिक उपबंधों का आदर करेगी तथा राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान राज्यों के साथ मिलजुल कर करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। हमें विश्वास है कि सभी राज्य इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने तथा अपने विचार-विमर्श को संघ एवं राज्यों के लिए अधिक उपयोगी बनाने में अपना सहयोग देंगे।

सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग को गतिशील बनाने के लिए कदम उठाए हैं, और समय-समय पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद ने 15 अक्तूबर, 1996 को हुई अपनी बैठक में सरकारिया आयोग की अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए मान लीं। सरकारिया आयोग की शेष सिफारिशें, विशेषकर राज्यों को वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित करने और संविधान के अनुच्छेद 356 में अपेक्षित

* ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1309/97

परिवर्तन करने की समीक्षा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद ने अपनी एक स्थायी समिति गठित की है। मूलभूत न्यूनतम सेवाओं तथा विद्युत क्षेत्र-की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों में बनी सहमति से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रमों को तैयार करना तथा विद्युत के क्षेत्र में सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्ययोजना को अपनाया जाना संभव हुआ है। योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार करने में बहुत कम समय लिया, और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद की 16 जनवरी, 1997 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। सहयोग की यह भावना नौवीं पंचवर्षीय योजना को समय पर शुरू करने में महत्वपूर्ण होगी।

पंचायती राज संस्थाएं और नगरपालिकाएं आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने, कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक अमीष्ट संरचना प्रदान करती हैं। सरकार इन संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां और निधियां हस्तांतरित करना चाहती है। संसद द्वारा उसके पिछले सत्र के दौरान भाग–IX को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू किए जाने के कानून को पारित किया जाना एक ऐतिहासिक घटना रही, जो इस प्रतिबद्धता को पर्याप्त रूप से दर्शाती है।

सार्वजनिक जीवन में सभी लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और आचरण लोकतंत्र के आधार हैं। सरकार ने प्रशासन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन पर राष्ट्रीय बहस शुरू की है। सरकार इस संबंध में प्राप्त विभिन्न अभिमतों पर विचार करने के साथ-साथ मुख्यमंत्रियों के शीघ्र होने वाले सम्मेलन के समक्ष एक कार्य-योजना प्रस्तुत करना चाहती है। सरकार सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में चिंचित है, तथा इस बुराई को खत्म करने के लिए कारगर कदम उठाने हेतु कटिबद्ध है। लोकपाल विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है, और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 को पारित किए जाने के साथ चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने की शुरूआत की गई है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करके अधिक व्यापक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाए।

राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये विघटनकारी ताकतें देश के भीतर और बाहर, दोनों जगह पनपती हैं। सरकार इन ताकतों के प्रति पूरी तरह सजग है। उसने इन चुनौतियों का दृढ़ता से मुकाबला किया है। आतंकवादियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने तथा कल्याण एवं विकास के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनावों के सफलतापूर्वक होने तथा लोकप्रिय सरकार स्थापित किए जाने से वहां सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया में काफी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान विशेष आर्थिक उपायों की घोषणा की थी, जिनके कार्यान्वयन के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गुटों की गतिविधियां निरन्तर चिंता का कारण बनी हुई हैं। ये लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे दुर्गम क्षेत्रों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापक राजनयिक पहल की है। सरकार इस स्थिति के समाधान के लिए एक बहुआयामी नीति बनाकर प्रभावी कदम भी उठा रही है। इन कदमों में इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से पिछले अक्तूबर में अनेक उपायों की घोषणा की गई थी। आधारिक संरचना विकास और बुनियादी सेवाओं के बारे में एक उच्चस्तरीय आयोग तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के संबंध में एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

पंजाब में स्थानीय शासन संस्थाओं और राज्य विधान सभा के चुनावों का सफलतापूर्वक सम्पन्न होना राज्य के लोगों का लोकतंत्र में अडिग विश्वास और शान्ति एवं सदभाव बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम नौवीं योजना अवधि के दौरान कम से कम 7 प्रतिशत की वृद्धि दर सुनिश्चित करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में लगभग 7 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन लगभग 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक की औसत दर से वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा का भण्डार निरन्तर बढ़ता रहा है, और इस समय यह लगभग 19.5 बिलियन अमरीकी डालर है।

सरकार तीव्र अर्थिक विकास के लिए आर्थिक सुधारों के प्रति वचनबद्ध है। निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित कानूनों और नीतियों में उपयुक्त संशोधन किये जा रहे हैं। प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कार्य-प्रणालियों को सरल बनाया गया है। निवेशकों में यह विश्वास पैदा करने के लिए भी कार्रवाई की गई है कि उनके साथ न्यायसंगत और समान व्यवहार किया जाएगा।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पूरी तरह पुनर्गठन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र निर्णय लिए जाएं और वे पारदर्शी हों। विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का भी गठन किया गया है, जिससे विदेशी पूंजी सुचारु रूप से प्राप्त होती रहे। स्वतः अनुमोदन के पात्र उद्योगों की सूची को व्यापक बनाया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। हम एक वर्ष में कम से कम दस बिलियन डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं।

इसी प्रकार, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप बन सके। निक्षेपागारों की स्थापना करने और शेयर बाजारों का आधुनिकीकरण करने से संस्थागत निवेश जुटाने के लिए तेजी से समझौते होने की संभावना है। हम विदेशों से दीर्घावधिक पेंशन और बीमा निधियां जुटाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए विद्युत, परिवहन एवं सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण आधारिक संरचना वाले क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से निवेश बढ़ाना अनिवार्य है। नई आधारिक संरचना विकास वित्त कंपनी बनाने से सक्षम बुनियादी आधारिक संरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण की बड़ी कमी को दूर किया जा सकेगा। बिजली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पांच त्वरित विद्युत परियोजनाओं को प्रति-गारंटी दी गई है। बिजली के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाने, राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार देने, राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करने तथा टैरिफ को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने हाल ही में विद्युत संचरण में निजी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

पत्तनों के मामले में निजी निवेश प्राप्त करने तथा 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था करने के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूंजी आधार में विस्तार करने से भारत में राजमार्गों का आधुनिक रूप से विकास करने के कार्य को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1955 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश भी प्रख्यापित किया गया है। इससे भूमि का शीघ्र अधिग्रहण तथा सड़क-निर्माण में निजी निवेश हो सकेगा। सरकार ने पूर्वोत्तर जैसे अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास भी किए हैं।

अक्तूबर, 1996 में विस्तृत क्षेत्रों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाने से खनन क्षेत्र के लिए भी विदेशी और भारतीय निवेश करने की अनुमति से संबंधित प्रक्रिया में और प्रगति हुई है। सांविधिक दूरसंचार नियमन प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक नया अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। सरकार लंबित मामलों को सुलझाकर बुनियादी दूरसंचार सेवाओं को कारगर बनाना चाहती है।

आगामी दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में होने वाले विकास में तेल और गैस नीति एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्ति के रूप में सहायक होगी। इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ने और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के फलस्वरूप चालू वर्ष के अंत तक तेल पूल का घाटा लगभग 15,500 करोड़ रुपए हो जाएगा । देश में तेल क्षेत्र के समुचित विकास के लिए यह जरूरी है कि तेल पूल खाता संतुलित रहे । हमें इस क्षेत्र में भारी निवेश करना होगा, ताकि इसमें और अधिक अन्वेषण एवं उत्पादन किया जा सके । हमें न केवल वर्तमान लागतों को पूरा करने के लिए ही, बल्कि नए निवेशों की दृष्टि से भी पर्याप्त साधन जुटाने होंगे।

तीव्र औद्योगिक विकास के साथ-साथ हमें कृषि के क्षेत्र में भी उसी दर से उत्पादन बढ़ाना होगा। यह गरीबी दूर करने और कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। वर्षा प्रधान, सूखा-संभावित और कम उपजाऊ भूमि पर कृषि विकास करना उच्च प्राथमिकता का विषय है। इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के शीघ्र एवं सतत विकास के लिए आधुनिक भूमि प्रबंध और जल-संरक्षण प्रणालियों को एक साथ मिलाकर जल-विभाजक विकास नीति अपनाना ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। सरकार जल-विभाजक आधारित विकास की सभी उप-प्रणालियों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए कटिबद्ध है, ताकि इस ओर अधिक ध्यान दिया जा सके, बेहतर तालमेल किया जा सके एवं सूक्ष्म स्तरीय योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और अधिक कारगर बनाया जा सके।

स्थानीय क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याएं हल करने तथा विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों के लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए शोध कार्य को बढ़ाना होगा। देश के बड़े भू-भाग में मृदा परीक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हमारे देश में टिशू कल्चर अनुसंधान से वाणिज्यिकरण को गति मिली है, और यह प्रौद्योगिकी बंजर भूमि पर बागवानी और वनरोपण के लिए बड़े पैमाने पर अपनायी जा रही है। संकर धान की किस्म से चावल की उत्पादकता और उपज बहुत बढ़ाई जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बासमती संकर धान की एक किस्म तैयार कर रहा है। इससे अच्छे किस्म के चावल का उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा। वाणिज्यिक खेती के लिए चावल की पांच संकर किस्में निकाली जा चुकी हैं। इस प्रकार भारत विश्व में संकर धान का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। इस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक भी खोला गया है, जो विश्व के बड़े जीन बैंकों में से एक है। विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में हुई प्रगति का लाभ खेतों तक पहुंचाने से संबंधित मुद्दों की व्यापक रूप से जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गई है।

हालांकि कृषि विकास के लिए सिंचाई पर सदैव अधिक ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए आठवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। सरकार ने 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामीण आधारिक संरचना में, विशेष रूप से सिंचाई और जल-विभाजक विकास में ऐसे ही परिणाम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण आधारिक संरचना विकास कोष को सुदृढ़ बनाया गया है।

छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 'गंगा कल्याण' नामक एक नये कार्यक्रम से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य को गति मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को भूमिगत जल एवं सतही जल के उपयोग की योजनाएं शुरू करने के लिए उदार आर्थिक सहायता, अनुरक्षण सहायता और ऋण सुविधा दी जाएगी।

एकीकृत जल संरक्षण एवं उपयोग योजना तैयार करने तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताएं प्रभावी ढंग से पूरी करने के बारे में फालतू पानी का उपयोग करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। सरकार सिंचाई प्रबंध और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बना रही है।

हमारे आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना है। रोजगार के अवसर पैदा करने, परिसंपत्तियों के सृजन, कार्यकुशलता में सुधार और बहुत अधिक निर्धन लोगों की आय बढ़ाने के सभी कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया गया है। गरीबी हटाने से संबंधित इन सभी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दुगुना किया जाएगा।

रोजगार आश्वासन योजना और मध्याह्न भोजन योजना अप्रैल, 1997 तक पूरे देश में लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार स्व-रोजगार की योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को पुनः कारीगरों और शिल्पकारों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं तथा अन्य गरीब वर्गों के हितों के अनुकूल बनाया जा रहा है। अधिक आर्थिक सहायता, बेहतर प्रशिक्षण और ऋण व्यवस्थाओं के जरिए हर वर्ष कम से कम दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उपयुक्त उद्यम और व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाएगी।

सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने हेतु पहल करना और अनेक ठोस कदम उठाना। इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर खर्च करने से न केवल अति आवश्यक सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, तथा भारत के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के पुनरुत्थान में भी इसकी एक प्रमुख भूमिका होगी। यही एक रास्ता है, जिससे हमारे कामगार, किसान और कारीगर आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्रियों के जुलाई, 1996 में हुए सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि निम्नलिखित सात बुनियादी न्यूनतम सेवाएं हासिल करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाए :

(1) प्रत्येक बस्ती में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना;

(2) पांच हजार लोगों के प्रत्येक समूह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कारगर व्यवस्था करना;

(3) सभी के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार के लिए उपाय करना;

(4) बेघर गरीब लोगों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता की व्यवस्था करना;

(5) गांवों/बस्तियों को निकट के बाजार अथवा मुख्य सड़क तक संपर्क सड़कों से जोड़ना;

(6) गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व तथा प्राथमिक शिक्षा स्तरों पर पोषाहार की व्यवस्था करना; तथा

(7) गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाना।

राष्ट्रीय वचनबद्धता और स्थानीय पहल को ध्यान में रखकर इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को 2216 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लाभ के लिए एक नई और लक्ष्योन्मुखी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घोषणा की गई है, जिसमें विशेष रूप से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नई प्रणाली से रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी ग्रामीण मजदूरी रोजगार योजनाओं में भाग लेने वाले लोगों के अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 32 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

इन विकास कार्यक्रमों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त हो सकेंगे, जब हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगा लेंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली समाप्त करके उसके स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर विकेन्द्रीकृत सहभागिता योजना बनाकर इस कार्यक्रम को नई दिशा दी गई है। आशा है कि इससे इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, तथा अधिक लोग छोटे परिवार के मानदण्ड अपना सकेंगे।

सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के स्तरों में अंतर कम करने और उन्हें शेष समाज के साथ बराबरी पर लाने के लिए वचनबद्ध है। वास्तव में इसका उद्देश्य सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना तथा उपयोजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता और राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम के जरिए उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए निधियां बढ़ाना है। सफाई कर्मचारियों के बेहतर प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। हम महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी उत्सुक हैं। आप जानते ही हैं कि सरकार ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के विषय में एक विधेयक पेश किया है, जिससे नीति बनाने में उनकी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

सरकार सभी कामगारों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है इसके संबंध में निर्माण कार्यों से जुड़े 90 लाख कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए इस वर्ष दो विधेयक पारित किए गए। हमने न्यूनतम मजदूरी तथा बाल श्रम और बंधुआ मजदूरों से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक सामूहिक अभियान चलाया है। खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी एवं काम करने की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव संसद में शीघ्र पेश किया जा रहा है।

सरकार विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी से संबंधित कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण कानून के अंतर्गत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं, और राज्य सरकारों से शीघ्रातिशीघ्र ऐसी ही कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाने हेतु एक राष्ट्रीय निगम स्थापित कर दिया गया है।

सरकार यह मानती है कि आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। विश्व के निरंतर बदलते परिदृश्य में हमारा अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण एवं विस्तार हमारी प्रतिस्पर्धा की क्षमता के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधारिक संरचना का व्यापक रूप में नवीकरण किया जाए। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यों को समन्वित करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष स्तरीय ढांचे के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कलपक्कम में कामिनी रिएक्टर के क्रान्तिक स्थिति में पहुंचने के फलस्वरूप हमने परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्युत

अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए विद्युत, परिवहन एवं सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण आधारिक संरचना वाले क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से निवेश बढ़ाना अनिवार्य है। नई आधारिक संरचना विकास वित्त कंपनी बनाने से सक्षम बुनियादी आधारिक संरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण की बड़ी कमी को दूर किया जा सकेगा। बिजली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पांच त्वरित विद्युत परियोजनाओं को प्रति-गारंटी दी गई है। बिजली के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाने, राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार देने, राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करने तथा टैरिफ को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने हाल ही में विद्युत संचरण में निजी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

पत्तनों के मामले में निजी निवेश प्राप्त करने तथा 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था करने के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूंजी आधार में विस्तार करने से भारत में राजमार्गों का आधुनिक रूप से विकास करने के कार्य को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1955 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश भी प्रख्यापित किया गया है। इससे भूमि का शीघ्र अधिग्रहण तथा सड़क-निर्माण में निजी निवेश हो सकेगा। सरकार ने पूर्वोत्तर जैसे अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास भी किए हैं।

अक्तूबर, 1996 में विस्तृत क्षेत्रों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाने से खनन क्षेत्र के लिए भी विदेशी और भारतीय निवेश करने की अनुमति से संबंधित प्रक्रिया में और प्रगति हुई है। सांविधिक दूरसंचार नियमन प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक नया अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। सरकार लंबित मामलों को सुलझाकर बुनियादी दूरसंचार सेवाओं को कारगर बनाना चाहती है।

आगामी दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में होने वाले विकास में तेल और गैस नीति एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्ति के रूप में सहायक होगी। इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ने और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के फलस्वरूप चालू वर्ष के अंत तक तेल पूल का घाटा लगभग 15,500 करोड़ रुपए हो जाएगा । देश में तेल क्षेत्र के समुचित विकास के लिए यह जरूरी है कि तेल पूल खाता संतुलित रहे । हमें इस क्षेत्र में भारी निवेश करना होगा, ताकि इसमें और अधिक अन्वेषण एवं उत्पादन किया जा सके । हमें न केवल वर्तमान लागतों को पूरा करने के लिए ही, बल्कि नए निवेशों की दृष्टि से भी पर्याप्त साधन जुटाने होंगे।

तीव्र औद्योगिक विकास के साथ-साथ हमें कृषि के क्षेत्र में भी उसी दर से उत्पादन बढ़ाना होगा। यह गरीबी दूर करने और कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। वर्षा प्रधान, सूखा-संभावित और कम उपजाऊ भूमि पर कृषि विकास करना उच्च प्राथमिकता का विषय है। इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के शीघ्र एवं सतत विकास के लिए आधुनिक भूमि प्रबंध और जल-संरक्षण प्रणालियों को एक साथ मिलाकर जल-विभाजक विकास नीति अपनाना ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। सरकार जल-विभाजक आधारित विकास की सभी उप-प्रणालियों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए कटिबद्ध है, ताकि इस ओर अधिक ध्यान दिया जा सके, बेहतर तालमेल किया जा सके एवं सूक्ष्म स्तरीय योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और अधिक कारगर बनाया जा सके।

स्थानीय क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याएं हल करने तथा विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों के लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए शोध कार्य को बढ़ाना होगा। देश के बड़े भू-भाग में मृदा परीक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हमारे देश में टिशू कल्चर अनुसंधान से वाणिज्यिकरण को गति मिली है, और यह प्रौद्योगिकी बंजर भूमि पर बागवानी और वनरोपण के लिए बड़े पैमाने पर अपनायी जा रही है। संकर धान की किस्म से चावल की उत्पादकता और उपज बहुत बढ़ाई जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बासमती संकर धान की एक किस्म तैयार कर रहा है। इससे अच्छे किस्म के चावल का उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा। वाणिज्यिक खेती के लिए चावल की पांच संकर किस्में निकाली जा चुकी हैं। इस प्रकार भारत विश्व में संकर धान का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। इस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक भी खोला गया है, जो विश्व के बड़े जीन बैंकों में से एक है। विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में हुई प्रगति का लाभ खेतों तक पहुंचाने से संबंधित मुद्दों की व्यापक रूप से जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गई है।

हालांकि कृषि विकास के लिए सिंचाई पर सदैव अधिक ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए आठवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। सरकार ने 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामीण आधारिक संरचना में, विशेष रूप से सिंचाई और जल-विभाजक विकास में ऐसे ही परिणाम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण आधारिक संरचना विकास कोष को सुदृढ़ बनाया गया है।

छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 'गंगा कल्याण' नामक एक नये कार्यक्रम से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य को गति मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को भूमिगत जल एवं सतही जल के उपयोग की योजनाएं शुरू करने के लिए उदार आर्थिक सहायता, अनुरक्षण सहायता और ऋण सुविधा दी जाएगी।

एकीकृत जल संरक्षण एवं उपयोग योजना तैयार करने तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताएं प्रभावी ढंग से पूरी करने के बारे में फालतू पानी का उपयोग करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। सरकार सिंचाई प्रबंध और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बना रही है।

हमारे आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना है। रोजगार के अवसर पैदा करने, परिसंपत्तियों के सृजन, कार्यकुशलता में सुधार और बहुत अधिक निर्धन लोगों की आय बढ़ाने के सभी कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया गया है। गरीबी हटाने से संबंधित इन सभी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दुगुना किया जाएगा।

रोजगार आश्वासन योजना और मध्याह्न भोजन योजना अप्रैल, 1997 तक पूरे देश में लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार स्व-रोजगार की योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को पुनः कारीगरों और शिल्पकारों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं तथा अन्य गरीब वर्गों के हितों के अनुकूल बनाया जा रहा है। अधिक आर्थिक सहायता, बेहतर प्रशिक्षण और ऋण व्यवस्थाओं के जरिए हर वर्ष कम से कम दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उपयुक्त उद्यम और व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाएगी।

सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने हेतु पहल करना और अनेक ठोस कदम उठाना। इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर खर्च करने से न केवल अति आवश्यक सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, तथा भारत के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के पुनरुत्थान में भी इसकी एक प्रमुख भूमिका होगी। यही एक रास्ता है, जिससे हमारे कामगार, किसान और कारीगर आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्रियों के जुलाई, 1996 में हुए सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि निम्नलिखित सात बुनियादी न्यूनतम सेवाएं हासिल करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाए :

(1) प्रत्येक बस्ती में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना;

(2) पांच हजार लोगों के प्रत्येक समूह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कारगर व्यवस्था करना;

(3) सभी के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार के लिए उपाय करना;

(4) बेघर गरीब लोगों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता की व्यवस्था करना;

(5) गांवों/बस्तियों को निकट के बाजार अथवा मुख्य सड़क तक संपर्क सड़कों से जोड़ना;

(6) गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व तथा प्राथमिक शिक्षा स्तरों पर पोषाहार की व्यवस्था करना; तथा

(7) गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाना।

राष्ट्रीय वचनबद्धता और स्थानीय पहल को ध्यान में रखकर इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को 2216 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लाभ के लिए एक नई और लक्ष्योन्मुखी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घोषणा की गई है, जिसमें विशेष रूप से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नई प्रणाली से रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी ग्रामीण मजदूरी रोजगार योजनाओं में भाग लेने वाले लोगों के अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 32 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

इन विकास कार्यक्रमों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त हो सकेंगे, जब हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगा लेंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली समाप्त करके उसके स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर विकेन्द्रीकृत सहभागिता योजना बनाकर इस कार्यक्रम को नई दिशा दी गई है। आशा है कि इससे इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, तथा अधिक लोग छोटे परिवार के मानदण्ड अपना सकेंगे।

सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के स्तरों में अंतर कम करने और उन्हें शेष समाज के साथ बराबरी पर लाने के लिए वचनबद्ध है। वास्तव में इसका उद्देश्य सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना तथा उपयोजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता और राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम के जरिए उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए निधियां बढ़ाना है। सफाई कर्मचारियों के बेहतर प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। हम महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी उत्सुक हैं। आप जानते ही हैं कि सरकार ने लोक सभा और राज्य विधान समाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के विषय में एक विधेयक पेश किया है, जिससे नीति बनाने में उनकी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

सरकार सभी कामगारों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है इसके संबंध में निर्माण कार्यों से जुड़े 90 लाख कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए इस वर्ष दो विधेयक पारित किए गए। हमने न्यूनतम मजदूरी तथा बाल श्रम और बंधुआ मजदूरों से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक सामूहिक अभियान चलाया है। खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी एवं काम करने की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव संसद में शीघ्र पेश किया जा रहा है।

सरकार विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी से संबंधित कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण कानून के अंतर्गत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं, और राज्य सरकारों से शीघ्रातिशीघ्र ऐसी ही कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाने हेतु एक राष्ट्रीय निगम स्थापित कर दिया गया है।

सरकार यह मानती है कि आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। विश्व के निरंतर बदलते परिदृश्य में हमारा अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण एवं विस्तार हमारी प्रतिस्पर्धा की क्षमता के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधारिक संरचना का व्यापक रूप में नवीकरण किया जाए। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यों को समन्वित करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष स्तरीय ढांचे के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कलपक्कम में कामिनी रिएक्टर के क्रान्तिक स्थिति में पहुंचने के फलस्वरूप हमने परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्युत

उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत अग्रिम पंक्ति में है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की सफलता से हमारा देश आई.आर.एस. श्रेणी के उपग्रह छोड़ने में आत्मनिर्भर हो गया है, और जियो-सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। हमारे अपने कैमरों से भारतीय उपग्रहों से प्राप्त चित्र विश्व में सर्वोत्तम हैं, और अब हम अंतरिक्ष से प्राप्त चित्र आदि विश्व के बाजारों में बेच रहे हैं। इन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं।

सेना और अर्ध-सैनिक बलों के जवान और अधिकारी सिविल प्राधिकारियों को बहुमूल्य सहयोग देते रहे हैं। इसमें सीमा पार से अशान्ति फैलाने के निरंतर प्रयासों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर में संसद और विधान सभा के चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से करवाया जाना भी शामिल है। जिन क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य करना कठिन था, वहां राहत और बचाव मिशनों की सहायता करने में हमारी सशस्त्र सेनाओं का योगदान अनुकरणीय रहा है।

हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करना सरकार की सर्वप्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता के प्रति सचेत है, और यह उद्देश्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक सभी साधन उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। अपने विद्यमान उपकरणों को निरन्तर उन्नत बनाने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उच्च कोटि के शस्त्र प्राप्त करने से राष्ट्र की रक्षा सेनाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी।

सुरक्षा प्रणालियों में अधिक आत्मनिर्भर होने के लिए दस वर्षीय राष्ट्रीय मिशन बहुत अधिक प्रगति कर रहा है। बहुमुखी मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन का निर्माण इस वर्ष आरंभ हो जाएगा। हमारे देश ने सेनाओं के लिए अपेक्षित किसी भी प्रकार की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का डिजाइन तैयार करने और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। नौसेना के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है, और इसकी पूर्ति के लिए इसको उन्नत एवं सुसज्जित करने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष हल्का लड़ाकू वायुयान परियोजना के अपने उड़ान परीक्षणों में भी निरंतर प्रगति हो रही है।

जहां तक हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का प्रश्न है, हमारी रचनात्मक और व्यावहारिक विदेश नीति के सकारात्मक परिणाम काफी हद तक सामने आ रहे हैं। हम उनके साथ द्विपक्षीय आधार पर, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के माध्यम से आपसी हित के संबंध बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं। सार्क से वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा इस संघ को सुदृढ़ करने और इसके कार्यकलापों को व्यापक बनाने में निभाई गई सक्रिय भूमिका का बहुत स्वागत हुआ है।

बंगलादेश की प्रधानमंत्री की दिसम्बर, 1996 में की गई भारत की यात्रा के समय दोनों देशों द्वारा गंगा जल के दीर्घकालिक बंटवारे के संबंध में एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से भारत और बंगलादेश के संबंधों में मित्रता के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है।

इसी प्रकार, महाकाली संधि किए जाने के परिणास्वरूप भारत-नेपाल संबंधों को एक नई दिशा मिली है। इस संधि से जल संसाधनों के संयुक्त उपयोग और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की काफी संभावनाएं पैदा हुई हैं। भूटान, श्रीलंका और मालद्वीप के साथ भारत के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण बने रहे।

चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बीच सहयोग का एक नया द्वार खुला है। इस यात्रा के समय विश्वास निर्माण उपायों के बारे में करार पर हस्ताक्षर किये जाने का बहुत महत्व है, तथा इससे द्विपक्षीय संबंधों के और सुदृढ़ होने की आशा है।

हम शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान के साथ टकराव की स्थिति समाप्त करने तथा सदभावपूर्ण मैत्री और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा विश्वास है कि लोगों के परस्पर मिलने-जुलने तथा व्यापारिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। हम पाकिस्तान की नई सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं, और उससे शीघ्र ही बातचीत फिर शुरू करने की आशा करते हैं।

अफगानिस्तान में निरन्तर विदेशी हस्तक्षेप के कारण पैदा हो रही अस्थिरता से भारत चिंतित है। विदेशी हस्तक्षेप को रोके बिना अफगान समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के एक मित्र और हितैषी के रूप में हमारी परम्परागत भूमिका को सभी जानते हैं, और हम उसके पीड़ित लोगों के लिए मानवीय आधार पर उसे सहायता देते रहेंगे।

जापान इस महीने के प्रारंभ में सम्पन्न हुए भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले में मित्र देश के रूप में हिस्सा लेने वाला प्रथम एशियाई देश रहा। इससे यह पता चलता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। हम जापान के साथ अपने संबंधों को और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के साथ हमारे आपसी हितों के लिए बातचीत होती रही है, जो पिछले वर्ष नए स्तर पर पहुंची है। हमें विश्वास है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी, और हम एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कार्यकलापों में अपनी यथोचित भूमिका निभाएंगे।

अरब देशों के साथ हमारे परम्परागत मैत्री, आपसी सूझ-बूझ और व्यापक सहयोग के संबंध बने रहेंगे। भारत ने मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया का समर्थन किया है, और अब तक हुई प्रगति का स्वागत किया है। हमें इसके शीघ्र पूरा होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा है। इज़राइल के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से उस देश के साथ हमारे तेजी से बढ़ रहे आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को गति मिली है।

हमने रूस के साथ संबंधों को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है, जो निरन्तरता, विश्वास और आपसी सूझ-बूझ पर आधारित हैं।

हमें आशा है कि क्लिंटन प्रशासन के द्वितीय कार्यकाल के दौरान भी भारत-अमरीका संबंधों में निरन्तर वृद्धि होगी। भारत और अमरीका में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और दोनों ही एक-दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते आये हैं, तथा परस्पर लाभकारी संबंधों का विस्तृत आधार विकसित करने का महत्त्व स्वीकार करते हैं।

पश्चिम-यूरोप के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जिन्हें घनिष्ठ आर्थिक सहयोग से और सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही हम लोकतंत्र के प्रति समान रूप से वचनबद्ध हैं। यूरोपीय संघ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है, और वह भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने संबंधों को और बढ़ाना चाहता है। हम उसकी इस भावना का स्वागत करते हैं। उसके प्रति हमारी भी ऐसी ही भावना है।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन के प्रति हमारी बचनबद्धता बरकरार है, और भारत इस के उद्देश्यों और सिद्धांतों को पूरा समर्थन देता रहेगा। भारत इस वर्ष अप्रैल में नई दिल्ली में होने वाले गुट-निरपेक्ष देशों के अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

विधायी कार्य से संबंधित तैंतीस विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ हैं, जिनमें लोकपाल विधेयक, 1996, दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995 और लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के उपबंध से संबंधित संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 शामिल हैं। सरकार वर्तमान सत्र के दौरान संसद के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है :–

(1) प्रसारण विधेयक, 1997
(2) प्रसार भारती (ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन आफ इंडिया) संशोधन विधेयक, 1997
(3) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1997
(4) विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1997
(5) बहुराज्य सहकारी समिति विधेयक, 1997
(6) भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1997 तथा
(7) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1997।

हम इस वर्ष अगस्त से अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हमारा स्वतंत्रता संग्राम अहिंसा पर आधारित होने के कारण विश्व-इतिहास में अद्वितीय था। आज भारत लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि सम्मत शासन, मानवाधिकार तथा धर्म निरपेक्षता बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारी इन नीतियों से स्वतंत्रता और आर्थिक विकास में तालमेल स्थापित हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस शताब्दी के महान नेता लोकतंत्र और स्थायित्व की कठिन चुनौतियों का सामना करने में हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं।

इस सदी के शेष चार वर्ष भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें इसे पिछली उपलब्धियों के आधार पर और विकास करके एक नए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आज भारत आशा और विश्वास के साथ 21वीं सदी में पदार्पण करने के तैयारी कर रहा है, जो उसके लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। विश्व में हमारा स्थान इस बात से तय होगा कि क्या हम दृढ़त्व और यथार्थता से आगे बढ़ते हैं, अथवा अपनी परम्परागत सोच से बंधे रहते हैं। अगली सहस्त्राब्दि के आरम्भ में हम इन सभी बातों पर विचार करें और बुनियादी मुद्दों को सुलझाएं, ताकि हम अगली सदी के शुरू में ही विश्व के विशाल और विकसित देश के रूप में उभरने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

जय हिन्द ।

अपराह्न 12.56 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण अत्यन्त दुख के साथ मैं सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगियों श्री जेवियर अराकल, श्री मणिभाई जे. पटेल और डॉ० दत्ता सामन्त के दुखद निधन की सूचना दे रहा हूँ।

श्री जेवियर अराकल वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे तथा केरल के एरणाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने 1980-84 में सातवीं लोक सभा के दौरान इसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

इससे पूर्व वह 1977-79 के दौरान केरल विधान सभा के सदस्य थे।

श्री अराकल पेशे से अधिवक्ता थे तथा अनेक सामाजिक तथा अन्य संगठनों से सम्बद्ध थे।

श्री अराकल एक विद्वान लेखक थे। वह "इंडियन ला नोट्स" के सहयोगी संपादक थे और उन्होंने "अनएम्प्लायमेंट इन इंडिया" विषय पर शोध ग्रंथ भी लिखा था।

श्री अराकल एक सक्रिय सांसद थे तथा उन्होंने 1980-82 के दौरान "सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति" के सदस्य के रूप में कार्य किया । वह 1996-97 के दौरान "गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति" के सदस्य भी रहे।

श्री जेवियर अराकल का निधन 62 वर्ष की आयु में 9 फरवरी, 1997 को एरणाकुलम में हुआ।

श्री मणिभाई जे. पटेल 1967-70 के दौरान मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य थे।

इससे पूर्व वह 1957-62 और 1962-67 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

मध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के दौरान श्री पटेल ने ग्रंथालय समिति के सभापति के रूप में कार्य किया।

श्री पटेल एक सक्रिय राजैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे तथा उन्होंने विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अनेक पदों पर कार्य किया।

श्री पटेल ने भारतीय तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों की खोज हेतु सरकारी शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में अनेक देशों का दौरा किया।

श्री पटेल एक विद्वान लेखक थे और उन्होंने "नेहरू वाणी", "जनता के जवाहर", "शांतिदूत शास्त्री जी", "श्रीमती इंदिरा गांधी" "पंचायत और हमारा दायित्व" और "पगडंडियों की आवाज" सहित अनेक पुस्तकें लिखी।

उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत अग्रिम पंक्ति में है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की सफलता से हमारा देश आई.आर.एस. श्रेणी के उपग्रह छोड़ने में आत्मनिर्भर हो गया है, और जियो-सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। हमारे अपने कैमरों से भारतीय उपग्रहों से प्राप्त चित्र विश्व में सर्वोत्तम हैं, और अब हम अंतरिक्ष से प्राप्त चित्र आदि विश्व के बाजारों में बेच रहे हैं। इन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं।

सेना और अर्ध-सैनिक बलों के जवान और अधिकारी सिविल प्राधिकारियों को बहुमूल्य सहयोग देते रहे हैं। इसमें सीमा पार से अशान्ति फैलाने के निंरतर प्रयासों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर में संसद और विधान सभा के चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से करवाया जाना भी शामिल है। जिन क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य करना कठिन था, वहां राहत और बचाव मिशनों की सहायता करने में हमारी सशस्त्र सेनाओं का योगदान अनुकरणीय रहा है।

हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करना सरकार की सर्वप्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता के प्रति सचेत है, और यह उद्देश्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक सभी साधन उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। अपने विद्यमान उपकरणों को निरन्तर उन्नत बनाने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उच्च कोटि के शस्त्र प्राप्त करने से राष्ट्र की रक्षा सेनाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी।

सुरक्षा प्रणालियों में अधिक आत्मनिर्भर होने के लिए दस वर्षीय राष्ट्रीय मिशन बहुत अधिक प्रगति कर रहा है। बहुमुखी मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन का निर्माण इस वर्ष आरंभ हो जाएगा। हमारे देश ने सेनाओं के लिए अपेक्षित किसी भी प्रकार की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का डिजाइन तैयार करने और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। नौसेना के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है, और इसकी पूर्ति के लिए इसको उन्नत एवं सुसज्जित करने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष हल्का लड़ाकू वायुयान परियोजना के अपने उड़ान परीक्षणों में भी निरंतर प्रगति हो रही है।

जहां तक हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का प्रश्न है, हमारी रचनात्मक और व्यावहारिक विदेश नीति के सकारात्मक परिणाम काफी हद तक सामने आ रहे हैं। हम उनके साथ द्विपक्षीय आधार पर, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के माध्यम से आपसी हित के संबंध बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं। सार्क से वर्तमान अध्यक्ष के रूप मे भारत द्वारा इस संघ को सुदृढ़ करने और इसके कार्यकलापों को व्यापक बनाने में निभाई गई सक्रिय भूमिका का बहुत स्वागत हुआ है।

बंगलादेश की प्रधानमंत्री की दिसम्बर, 1996 में की गई भारत की यात्रा के समय दोनों देशों द्वारा गंगा जल के दीर्घकालिक बंटवारे के संबंध में एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से भारत और बंगलादेश के संबंधों में मित्रता के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है।

इसी प्रकार, महाकाली संधि किए जाने के परिणास्वरूप भारत-नेपाल संबंधों को एक नई दिशा मिली है। इस संधि से जल संसाधनों के संयुक्त उपयोग और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की काफी संभावनाएं पैदा हुई हैं। भूटान, श्रीलंका और मालद्वीप के साथ भारत के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण बने रहे।

चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बीच सहयोग का एक नया द्वार खुला है। इस यात्रा के समय विश्वास निर्माण उपायों के बारे में करार पर हस्ताक्षर किये जाने का बहुत महत्व है, तथा इससे द्विपक्षीय संबंधों के और सुदृढ़ होने की आशा है।

हम शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान के साथ टकराव की स्थिति समाप्त करने तथा सदभावपूर्ण मैत्री और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा विश्वास है कि लोगों के परस्पर मिलने-जुलने तथा व्यापारिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। हम पाकिस्तान की नई सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं, और उससे शीघ्र ही बातचीत फिर शुरू करने की आशा करते हैं।

अफगानिस्तान में निरन्तर विदेशी हस्तक्षेप के कारण पैदा हो रही अस्थिरता से भारत चिंतित है। विदेशी हस्तक्षेप को रोके बिना अफगान समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के एक मित्र और हितैषी के रूप में हमारी परम्परागत भूमिका को सभी जानते हैं, और हम उसके पीड़ित लोगों के लिए मानवीय आधार पर उसे सहायता देते रहेंगे।

जापान इस महीने के प्रारंभ में सम्पन्न हुए भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले में मित्र देश के रूप में हिस्सा लेने वाला प्रथम एशियाई देश रहा। इससे यह पता चलता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। हम जापान के साथ अपने संबंधों को और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के साथ हमारे आपसी हितों के लिए बातचीत होती रही है, जो पिछले वर्ष नए स्तर पर पहुंची है। हमें विश्वास है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी, और हम एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कार्यकलापों में अपनी यथोचित भूमिका निभाएंगे।

अरब देशों के साथ हमारे परम्परागत मैत्री, आपसी सूझ-बूझ और व्यापक सहयोग के संबंध बने रहेंगे। भारत ने मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया का समर्थन किया है, और अब तक हुई प्रगति का स्वागत किया है। हमें इसके शीघ्र पूरा होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा है। इज़राइल के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से उस देश के साथ हमारे तेजी से बढ़ रहे आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को गति मिली है।

हमने रूस के साथ संबंधों को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है, जो निरन्तरता, विश्वास और आपसी सूझ-बूझ पर आधारित हैं।

हमें आशा है कि क्लिंटन प्रशासन के द्वितीय कार्यकाल के दौरान भी भारत-अमरीका संबंधों में निरन्तर वृद्धि होगी। भारत और अमरीका में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और दोनों ही एक-दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते आये हैं, तथा परस्पर लाभकारी संबंधों का विस्तृत आधार विकसित करने का महत्त्व स्वीकार करते हैं।

पश्चिम-यूरोप के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जिन्हें घनिष्ठ आर्थिक सहयोग से और सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही हम लोकतंत्र के प्रति समान रूप से वचनबद्ध हैं। यूरोपीय संघ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है, और वह भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने संबंधों को और बढ़ाना चाहता है। हम उसकी इस भावना का स्वागत करते हैं। उसके प्रति हमारी भी ऐसी ही भावना है।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन के प्रति हमारी वचनबद्धता बरकरार है, और भारत इस के उद्देश्यों और सिद्धांतों को पूरा समर्थन देता रहेगा। भारत इस वर्ष अप्रैल में नई दिल्ली में होने वाले गुट-निरपेक्ष देशों के अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

विधायी कार्य से संबंधित तैंतीस विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ हैं, जिनमें लोकपाल विधेयक, 1996, दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995 और लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के उपबंध से संबंधित संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 शामिल हैं। सरकार वर्तमान सत्र के दौरान संसद के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है :–

(1) प्रसारण विधेयक, 1997
(2) प्रसार भारती (ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन आफ इंडिया) संशोधन विधेयक, 1997
(3) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1997
(4) विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1997
(5) बहुराज्य सहकारी समिति विधेयक, 1997
(6) भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1997 तथा
(7) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1997।

हम इस वर्ष अगस्त से अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हमारा स्वतंत्रता संग्राम अहिंसा पर आधारित होने के कारण विश्व-इतिहास में अद्वितीय था। आज भारत लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि सम्मत शासन, मानवाधिकार तथा धर्म निरपेक्षता बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारी इन नीतियों से स्वतंत्रता और आर्थिक विकास में तालमेल स्थापित हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस शताब्दी के महान नेता लोकतंत्र और स्थायित्व की कठिन चुनौतियों का सामना करने में हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं।

इस सदी के शेष चार वर्ष भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें इसे पिछली उपलब्धियों के आधार पर और विकास करके एक नए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आज भारत आशा और विश्वास के साथ 21वीं सदी में पदार्पण करने के तैयारी कर रहा है, जो उसके लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। विश्व में हमारा स्थान इस बात से तय होगा कि क्या हम दृढ़ता और यथार्थता से आगे बढ़ते हैं, अथवा अपनी परम्परागत सोच से बंधे रहते हैं। अगली सहस्त्राब्दि के आरम्भ में हम इन सभी बातों पर विचार करें और बुनियादी मुद्दों को सुलझाएं, ताकि हम अगली सदी के शुरू में ही विश्व के विशाल और विकसित देश के रूप में उभरने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

जय हिन्द ।

अपराह्न 12.56 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण अत्यन्त दुख के साथ मैं सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगियों श्री जेवियर अराकल, श्री मणिभाई जे. पटेल और डॉ० दत्ता सामन्त के दुखद निधन की सूचना दे रहा हूँ।

श्री जेवियर अराकल वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे तथा केरल के एरणाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने 1980-84 में सातवीं लोक सभा के दौरान इसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

इससे पूर्व वह 1977-79 के दौरान केरल विधान सभा के सदस्य थे।

श्री अराकल पेशे से अधिवक्ता थे तथा अनेक सामाजिक तथा अन्य संगठनों से सम्बद्ध थे।

श्री अराकल एक विद्वान लेखक थे। वह "इंडियन ला नोट्स" के सहयोगी संपादक थे और उन्होंने "अनएम्प्लायमेंट इन इंडिया" विषय पर शोध ग्रंथ भी लिखा था।

श्री अराकल एक सक्रिय सांसद थे तथा उन्होंने 1980-82 के दौरान "सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति" के सदस्य के रूप में कार्य किया । वह 1996-97 के दौरान "गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति" के सदस्य भी रहे।

श्री जेवियर अराकल का निधन 62 वर्ष की आयु में 9 फरवरी, 1997 को एरणाकुलम में हुआ।

श्री मणिभाई जे. पटेल 1967-70 के दौरान् मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य थे।

इससे पूर्व वह 1957-62 और 1962-67 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

मध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के दौरान श्री पटेल ने ग्रंथालय समिति के सभापति के रूप में कार्य किया।

श्री पटेल एक सक्रिय राजैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे तथा उन्होंने विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं में अनेक पदों पर कार्य किया।

श्री पटेल ने भारतीय तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों की खोज हेतु सरकारी शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में अनेक देशों का दौरा किया।

श्री पटेल एक विद्वान लेखक थे और उन्होंने "नेहरू वाणी", "जनता के जवाहर", "शांतिदूत शास्त्री जी", "श्रीमती इंदिरा गांधी" "पंचायत और हमारा दायित्व" और "पगडंडियों की आवाज" सहित अनेक पुस्तकें लिखी।

श्री मणिभाई जे. पटेल का निधन 76 वर्ष की आयु में 12 जून, 1996 को मुम्बई में हुआ।

डॉ० दत्ता सामन्त मुम्बई दक्षिण मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1984-89 के दौरान आठवीं लोक सभा के सदस्य थे।

इससे पूर्व वह 15 वर्ष तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे।

डॉ० दत्ता सामन्त पेशे से चिकित्सक थे। वह देश के एक अग्रणी ट्रेड यूनियन नेता और सक्रिय राजनेता व सामाजिक कार्यकर्त्ता थे।

डॉ० सामन्त एक योग्य सांसद थे तथा उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं की ओर अनेक बार सभा का ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने 1986-87 के दौरान "सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति" के सदस्य के रूप में कार्य किया।

डॉ० दत्ता सामन्त का दुखद अन्त 64 वर्ष की आयु में 16 जनवरी, 1997 को मुम्बई में एक हत्यारे की गोली से हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 12.58 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.59 बजे

[अनुवाद]

सभापटल पर रखे गए पत्र

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अंतर्गत संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1997 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1310/97]

चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : मैं श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव की ओर से चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1311/97]

संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (1996 की संख्या 4) (वाणिज्यिक) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड का प्रतिवेदन

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (1996 की संख्या 4) (वाणिज्यिक)—कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1312/97]

[हिन्दी]

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1313/97]

संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत अध्यादेश

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1996 को प्रख्यापित आयकर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 32)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1314/97]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित पत्तन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1315/97]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1316/97]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1317/97]

(5) राष्ट्रपति द्वारा 15 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1318/97]

(6) राष्ट्रपति द्वारा 15 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित निक्षेपागार संबंधी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 5)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1319/97]

(7) राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 6)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1320/97]

(8) राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 7)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1321/97]

(9) राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित विद्युत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 8)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1322/97]

(10) राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 9)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1323/97]

(11) राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित ललित कला अकादमी (प्रबंधन का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 10)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1324/97]

(12) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 11)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1325/97]

(13) राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 12)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1326/97]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 21 फरवरी, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 21 फरवरी, 1997/ 2 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।